प्रेस नोट

मुंगेर जिला अन्तर्गत अंचल– असरगंज मौजा–धुरिया, थाना नं0– 49, रकवा– 24.9974 एकड़, मौजा–पनसांय, थाना नं0 – 50, रकवा – 115.1357 एकड़, मौजा– धुरिया अराजी, थाना नं0– 47, रकवा – 81.1872 एकड़, मौजा– बेराई थाना नं0– 45, रकवा– 190.0913 एकड, मौजा– खरभतुआ, थाना नं0– 40, रकवा– 6.0142 एकड़ , मौजा – जोरारी, थाना नं0 – 43, रकवा – 18.6666 एकड़ एवं मौजा– बदरखा, थाना नं0– 48, रकवा– 30.3993 एकड़ अर्थात कुल समेकित रकवा– 466.4917 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 1,24,62,50,175.00 (रुपये एक अरब चौबीस करोड़ बासठ लाख पचास हजार एक सौ पचहत्तर रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से मुंगेर जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगें तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

(2)

प्रेरा नोट

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण/दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) की स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना का गठन, ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति तथा एन0ए0बी0एल0 (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों तथा बिहार आपूर्ति सेवा के आपूर्ति निरीक्षक को खाद्यान्न भंडारण, प्रबंधन इत्यादि के प्रशिक्षण में खाद्यान्नों की जाँच हेतु प्रयोगशाला एवं शोध तथा अनुसंधान संस्थान की स्थापना के फलस्वरूप लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

हस्ताक्षरः—
नामः— पंकज कुमार
पदनामः— प्रधान सचिव

(10/70)

3

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के राज्य स्तर पर कार्यालय जीविका मुख्यालय भवन, पटना के निर्माण एवं इस हेतु अनुमानित व्यय रू0 7366.15 लाख (तिहत्तर करोड़ छियासठ लाख पन्द्रह हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

राज्य स्तर पर जीविका के कार्यालय भवन के निर्माण से जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों से जुड़े सदस्यों के उद्यमिता विकास सहित प्रशासनिक कार्यों का बेहतर संचालन एवं समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

जहानाबाद जिलांतर्गत सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान के अधीन उदेरास्थान बराज का निर्माण एवं पूर्व निर्मित उदेरास्थान वीयर योजना के नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण कार्य में आर्बिट्रेशन संख्या–21/2023 (विजेता प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राँची, झारखण्ड बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 20.03.2025 को पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील दायर करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा प्रदत मंतव्य के उपरान्त दिनांक 20.05.2025 को संवेदक से निगोशिएशन हेतु संपन्न बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में, पुनरीक्षित राशि ₹ 65113.00 लाख (छः सौ इकावन करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

सिंचाई प्रमंडल, उदेरास्थान के अन्तर्गत विषयांकित कार्य में आर्बिट्रेशन संख्या–21/2023 में दिनांक 20.03.2025 को पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील दायर करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा प्रदत्त मंतव्य के उपरान्त दिनांक 20.05.2025 को संवेदक से निगोशिएशन हुआ।

उपर्युक्त के आलोक में पुनरीक्षित राशि रु० 651.13 करोड़ (छः सौ इकावन करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र के लिए द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ द्वारा अनुमोदित विस्तृत योजना प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 247 दिनांक 13.02.2007 द्वारा उदेरास्थान बराज का निर्माण एवं पूर्व निर्मित उदेरास्थान वीयर योजना के नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण कार्य हेतु रु० 204.00 करोड़ के लिए प्रशासनिक एवं व्यय संसूचित है।

विभागीय पत्रांक 269 दिनांक 13.03.2013 द्वारा रु० 531.01 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की गई।

विभागीय पत्रांक 267 दिनांक 06.02.2015 द्वारा रु० 531.01 करोड़ अनुमोदित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत कार्यहित में कार्य कराने की विभागीय सहमति दी गई। इस योजना में अब तक कुल राशि रु० 615.67 करोड़ का व्यय किया गया है।

दिनांक 20.05.2025 को संवेदक के साथ संपन्न निगोशिएशन के आलोक में संवेदक के दावा की राशि, मोबिलाईजेशन अग्रिम पर सूद की राशि एवं जी०एस०टी० सहित कुल राशि रु० 35.45 करोड़ का भुगतान किया जाना है।

आर्बिट्रेशन सख्या–21/23 अन्तर्गत पारित अवार्ड के भुगतान को अगस्त, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। प्रेस नोट।।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2025—26 में राज्य के नगर निकायों के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत कुल राशि ₹400.00 करोड़ (चार सौ करोड़ रु०) मात्र की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति दी गयी।

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

6

।। प्रेस नोट ।।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत लोक उद्देश्य के कार्यों तथा विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना यथा–नाला, सड़क, प्रशासनिक भवन, सम्राट अशोक भवन, मोक्षधाम/शवदाह गृह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कम्पोस्ट प्लांट, एम०आर०एफ०, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीवेज/सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध होने से नगर निकायों द्वारा महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन तथा ठोस/तरल अपशिष्टों का समुचित प्रबंधन किया जा सकेगा, जिससे शहरों का सौंदर्यीकरण, आधारभूत संरचना का निर्माण एवं नागरिक सुविधा का विकास हो सकेगा।

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस – नोट

"मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना" के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(मनोज कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस – नोट

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹594.56 करोड़ (पाँच अरब चौरानवें करोड़ छप्पन लाख रूपये) मात्र की राशि का अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है। बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान होने से कार्यालय एवं योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन में सहायक होगी।

(मनोज कुमार)
सचिव

9

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेस – नोट

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ''मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना'' के तहत निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹100.00 करोड़ (एक अरब रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(मनोज कुमार)
सचिव

10

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—:प्रेस नोट:—

विभिन्न स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले अनुभवी विशेषज्ञों को सम्बद्ध करने से लोक नीति के निमार्ण एवं क्रियान्वयन में नई ऊर्जा एवं गति प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, दो वर्षो का अनुमानित व्यय ₹31,85,88,900/— एवं 121 फेलोज का चयन, की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

हस्ताक्षर:—

नाम:— डॉ0 बी0 राजेन्दर,

पदनाम:— सरकार के अपर मुख्य सचिव

(उत्तरदायी विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन नगर निकायों द्वारा किया जाता है, परन्तु उक्त योजनाओं से संबंधित संचिकाओं, अभिलेखों आदि का समुचित ढ़ंग से रख–रखाव, अनुरक्षण एवं उपस्थापन में सुगमता के उद्देश्य से नगर निगम स्तर पर योजना प्रभाग का गठन करते हुए उक्त प्रभाग में कतिपय पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस की गई।

उक्त के आलोक में नगर निगम स्तर पर योजना प्रभाग का गठन करते हुए उसके अन्तर्गत सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी एवं नगरपालिका योजना पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। नगरपालिकाओं को सौंपे गये दायित्वों एवं कृत्यों के निर्वहन में सुगमता के उद्देश्य से उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति आवश्यक है।

इस परिप्रेक्ष्य में बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस नोट
वित्त विभाग

वित्त विभागीय संकल्प सं०–8044, दिनांक–11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता के वर्त्तमान दरों एवं यात्रा अनुमान्यता में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है।

8.9.23

(रचना पाटिल)
सचिव (व्यय),
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

13

विभाग का नामः- **वित्त विभाग, बिहार, पटना ।**

प्रेस नोट

अप्रत्याशित संभावित आपदाओं से पीड़ित/प्रभावितों को राहत दिये जाने, भारत सरकार से केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि के ससमय व्यय एवं अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्त्ति तथा राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित महत्वपूर्ण योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु निधि की उपलब्धता के निमित्त बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय को वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि में 30 मार्च, 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹31,689.50 करोड़ (इक्कतीस हजार छह सौ नवासी करोड़ पचास लाख रुपये) करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पूर्व में पंचायतों के क्षेत्राधिकार को हल्का मानकर कुल–8463 राजस्व कर्मचारी का सृजन किया गया। तदुपरान्त पटना सदर अंचल के विभाजन से 04 अंचलों के सृजन के उपरान्त उक्त कार्यालयों हेतु राजस्व कर्मचारी के 9 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारी के कुल–8472 स्वीकृत पद है।

2. सम्प्रति राजस्व कर्मचारियों के पद सृजन का आधार केवल ग्राम पंचायत/हल्का की संख्या का आकलन ही रहा है। बड़े हल्कों में जमाबंदी की संख्या अत्यधिक होने के कारण राजस्व कर्मचारियों द्वारा कार्य करने में कठिनाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा नगर निकायों के भूमि की जमाबंदी संबंधी कार्यों का भी निष्पादन किया जाता है एवं नगर निकायों के हल्कों में भी जमाबंदी की संख्या अधिक होने के कारण राजस्व संबंधी कार्यों में वृद्धि हुई है। अतः राजस्व कर्मचारियों के स्वीकृत बल मे वृद्धि करने हेतु 5103 हल्कों में एक तथा 3336 हल्कों में प्रति हल्का दो (02) अर्थात् 6672 राजस्व कर्मचारियों के पदस्थापन किये जाएंगे अर्थात् कुल–11775 राजस्व कर्मचारी के पद हो जाएंगे। राजस्व संबंधी वर्द्धित कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु राजस्व कर्मचारियों के 3303 अतिरिक्त पदों के सृजन का सृजन किया जाना आवश्यक समझा गया है।

उक्त 3303 नये पदों के सृजन के प्रस्ताव एवं इसके फलस्वरूप अनुमानित कुल वार्षिक व्यय भार 131,74,21,368/–(एक सौ इक्तीस करोड़ चौहत्तर लाख इक्कीस हजार तीन सौ अड़सठ) रूपये पर प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

हस्ताक्षर :–

नाम :– (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :–अपर मुख्य सचिव

15

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2025 के आलोक में बिहार मत्स्य सेवा के मूल पदों पर नियुक्ति की जायेगी तथा इसके अनुसार अधियाचना भेजी जा सकेगी।

अतएव उक्त के आलोक में बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

अपर मुख्य सचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस नोट

गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली–2025 की स्वीकृति दी गयी है। इसके फलस्वरूप गन्ना उद्योग विभाग अधीन बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग के ईख पर्यवेक्षक के पदों पर सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति ससमय प्रदान की जायेगी।

(बी० कार्तिकेय धनजी)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

17 59/70

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

राज्य के सभी प्रखण्डों में जीविका समूहों के माध्यम से बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन हेतु ''बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना'' लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

गोवंशीय पशु एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन हैं और इस योजना के समुचित क्रियान्वयन से इनका उपयोग कृषि के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए किया जा सकेगा। साथ ही इन बेसहारा गोवंशीय पशुओं का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

(18)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर के द्वारा राज्य के छः शहरों यथा–पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में गैस (एल0पी0जी) आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन तथा उक्त क्रम में इन शहरों में एक–एक एकड़ भूमि ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर को 1 (एक) रुपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज के माध्यम से आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(अभय कुमार सिंह),
सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट।।

नगर निकायों में आये दिन ऐसे मामले उत्पन्न होते हैं, जिनमें निकाय स्तर पर ही शीघ्र विधिक कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। आये दिन विभिन्न न्यायालयों में मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसका ससमय निष्पादन हेतु विधि से संबंधित पदों के सृजन की आवश्यकता महसूस की गई।

उक्त के आलोक में नगर परिषद एवं नगर निगम स्तर पर प्रशासनिक प्रभाग के अन्तर्गत विधि सहायक, सहायक विधि पदाधिकारी एवं विधि पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है। नगरपालिकाओं को सौंपे गये दायित्वों एवं कृत्यों के निर्वहन में सुगमता के उद्‌देश्य से उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति आवश्यक है।

इस परिप्रेक्ष्य में बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(21)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेस–नोट

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 4 में संशोधन के फलस्वरूप कर प्रणाली अधिक युक्तिसंगत होगी तथा नगर निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)

22

–: प्रेस नोट :–

मंत्रिपरिषद् की आज की बैठक में "कारा एवं सुधार सेवाएँ, परिधापक संवर्ग नियमावली, 2025" के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस नियमावली द्वारा परिधापक संवर्ग के मूल कोटि (परिधापक) के पदों पर भर्त्ती की प्रक्रिया, स्वास्थ्य विभाग के समान की गयी है। इस संवर्ग के कर्मियों के संवर्गीय प्रोन्नति हेतु दो उच्चतर पदसोपान (वरीय परिधापक एवं परिधापक पर्यवेक्षक), मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के स्थान पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के माध्यम से अनुशंसा प्राप्त करने, परिवीक्षाधीन परिधापकों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने इत्यादि का प्रावधान भी किया गया है। ये सभी प्रावधान स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत परिधापक संवर्ग के कर्मियों के लिए पूर्व से लागू है।

(संजीव जमुआर)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग (कारा)

23

–: प्रेस नोट :–

मंत्रिपरिषद् की आज की बैठक में "कारा एवं सुधार सेवाएँ, फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2025" के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस नियमावली के द्वारा इस संवर्ग के कर्मियों के मूल कोटि का पदनाम 'मिश्रक' के स्थान पर 'फार्मासिस्ट', संवर्गीय प्रोन्नति हेतु दो उच्चतर पदसोपान (वरीय फार्मासिस्ट एवं वरीय मुख्य फार्मासिस्ट), मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अनुशंसा प्राप्त करने, परिवीक्षाधीन फार्मासिस्ट के लिए प्रशिक्षण (कोषागार प्रशिक्षण सहित), विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने इत्यादि का प्रावधान किया गया है। ये सभी प्रावधान स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत फार्मासिस्ट संवर्ग के कर्मियों के लिए पूर्व से लागू है।

(संजीव जमुआर)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)
बिहार, पटना।

D:\RANJIT SIR\PHARMACIST\PHARMACIST NIYAMWALI.DOCX

24

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

राज्य के पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के पूर्ण होने के पश्चात् CCTV कैमरा के आगामी वार्षिक रख–रखाव, 176 नये थानों में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन एवं Dashboard निर्माण तथा भविष्य में नये थानों की सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रति थाना CCTV कैमरा लगाने हेतु कुल प्राक्कलित राशि (कर एवं निगम मार्जिन सहित) ₹ 280,60,79,716 (दो सौ अस्सी करोड़ साठ लाख उनासी हजार सात सौ सोलह रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में।

(प्रणव कुमार)
सचिव

25

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण के साथ प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने का निर्णय लिया गया है।

09/09/25

(रजनीश कुमार)
संयुक्त सचिव।

26

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

प्रेस नोट

वर्तमान में आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छः वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों एवं गर्भवती/शिशुवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को प्रतिमाह देय मानदेय की राशि क्रमशः रू0 7000/-(सात हजार) एवं रू0 4000/-(चार हजार) को दिनांक 01.09.2025 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए क्रमशः रू0 9000/-(नौ हजार) एवं रू0 4500/-(चार हजार पांच सौ) प्रतिमाह निर्धारित करने एवं इसके निमित राज्य योजना मद से प्रति वर्ष रू0 3,45,19,20,000 (तीन सौ पैतालिस करोड़ उन्नीस लाख़ बीस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन में सेविकाओं/सहायिकाओं की मुख्य भूमिका है। बढती महंगाई एवं मुद्रास्फीति के मद्देनजर सेविकाओं/सहायिकाओं के मानदेय में बढोतरी किये जाने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा जिससे उनके कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

सचिव,
समाज कल्याण विभाग।